class 9 economics notes chapter 6 – कृषक मजदूर

कृषक मजदूर

कृषक मजदूर

इकाई की मुख्य बातें-भारत की कुल आबादी का 64 प्रतिशत जनता कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। इनमें से 75% आबादी कृषक मजदूर के रूप में हैं। ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण कृषक मजदूर की आर्थिक दशा काफी दयनीय है।

कृषक मजदूर से हमारा मतलब गाँव में काम करने वाले उन लोगों से है जो कृषि के कार्य में मजदूर के रूप में काम करते हैं। 1950-51 की प्रथम कृषिश्रम जाँच समिति के अनुसार कृषि श्रमिक वे लोग है जो कृषि कार्य में लगे हैं और जो वर्ष में जितने दिन काम करते हैं उसका आधा

या आधे से अधिक भाग मजदूरी पर करते हैं। अतः वर्ष के आधे या उससे अधिक भाग तक मजदूरी के आधार पर जो व्यक्ति कृषि कार्य में लगे हों, उन्हें कृषि श्रमिक कहा गया है।

सामान्यतः कृषक मजदूर को मुख्यतः तीन भागों में बाँटा जा सकता है-

1. खेत में काम करने वाले मजदूर-जैसे हलवाहे फसल काटने वाले आदि इन्हें पूर्ण रूप से कृषक मजदूर कहा जा सकता है जिसने अपने काम के क्रम में कुछ कुशलता प्राप्त कर ली है।
2. कृषि से सम्बद्ध अन्य कार्य करनेवाले मजदूर-जैसे कुआँ खोदने वाले, गाड़ीवान आदि। इन्हें अर्द्ध कुशल मजदूर कहा जाता है।
3. वैसे मजदूर जो कृषि के अलावे अन्य सहायक उद्योगों में लगे हुए हैं-जैसे बढ़ई, लोहार आदि। इन्हें ग्रामीण कलाकार भी कहा जा सकता है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कृषक मजदूर को दो भागों में बाँटा है-

1. भूमिहीन श्रमिक-ये ऐसे श्रमिक हैं जिनके पास खेती करने के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती।
2. बहुत छोटा किसान-ये ऐसे श्रमिक हैं जिनके पास बहुत थोड़ी मात्रा में अपनी भूमि होती है। अतः ये अपना अधिकांश समय श्रमिकों के रूप में व्यतीत करते हैं।

बिहार में कृषक मजदूरों की निम्नलिखित समस्याएँ हैं-

1. कम मजदूरी-बिहार में कृषक मजदूरों की मजदूरी बहुत ही कम दी जाती है। उनके पास चूँकि कोई वैकल्पिक साधन नहीं है। इसलिए वे कम मजदूरी पर भी काम करने

को मजबूर हैं।

2. मौसमी रोजगार-बिहार में कृषक मजदूरों को साल में सिर्फ 4 महीने काम मिल पाता है इसलिए वे इसके आसानी से शिकार हो जाते हैं।

मजबूर है।

3. काम के अधिक घंटे-बिहार में कृषक मजदूरों की एक बड़ी समस्या यह है कि उनके काम के घंटे निश्चित नहीं है।
4. ऋणग्रस्तता-बिहार में कृषक मजदूरों की मजदूरी कम होने के कारण वे सदा ही ऋणग्रस्त रहते हैं। इसके चलते उन्हें महाजन या बड़े किसान की बेकारी करनी पड़ती है।
5. निम्न जीवन स्तर-कृषक मजदूरों का जीवन स्तर काफी निम्न है। उनकी मजदूरी कम होने से ये रोटी, कपड़ा और मकान की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं।
6. आवास की समस्या-बिहार में कृषक मजदूरों को मालिक या ग्राम समाज की भूमि पर उनकी अनुमति से एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं जो बिल्कुल ही आवास के लायक नहीं होती है।

https://www.evidyarthi.in/

7. बंधुआ मजदूर-ऐसे कृषक मजदूर किसी ऋण के चलते मालिक के यहाँ आजन्म या ऋण चुकता होने तक भोजन के बदले काम करते हैं। उनके काम में परिवार के अन्य सदस्य भी हाथ बँटाते रहते हैं जिन्हें कुछ मजदूरी दे दिया जाता है (ऐसे मजदूर बंधुआ मजदूर कहलाते हैं।
8. सहायक धंधों का अभाव-यदि गाँव में फसल बर्बाद हो जाते हैं तो कृषक मजदूर को जीवन-निर्वाह का अन्य कोई साधन नहीं मिल पाता जिसके चलते वे कर्ज में दिन-प्रतिदिन और ज्यादा डूबते चले जाते हैं।
9. संगठन का अभाव-बिहार में कृषक मजदूरों के संगठन के अभाव में मेलजोल करने की क्षमता नहीं होती है। इसके चलते वे अपनी मजदूरी बढ़वाने, कार्य के घंटे नियमित करने, बेगारी बंद कराने की आवाज तक उठा नहीं पाते।
10. कृषि में मशीनीकरण से बेकारी-बिहार में कृषि में मशीनों के प्रयोग के चलते कृषक मजदूरों में बेकारी बढ़ती जा रही है। यह एक गंभीर समस्या है।
11. निम्न सामाजिक स्तर-बिहार में अधिकांश कृषक मजदूर अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों के हैं जिनका सदियों से शोषण होता आ रहा है। इससे इनका सामाजिक स्तर निम्न कोटि का बना हुआ रहता है।

बिहार कृषक मजदूरों का पलायन
बिहार में कृषक मजदूरों के सामने गरीबी, बेरोजगारी तथा भूखमरी की समस्याएँ उत्पन्न होती है जिसके कारण वे हीनभावना से ग्रसित हो जाते हैं। इन सब कारणों से वे रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं। 'पलायन' का अर्थ होता है रोजगार की तलाश में
एक जगह से दूसरे जगह जाना। इधर बिहार के अधिकतर कृषक मजदूर पंजाब, हरियाणा, असम, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आदि की ओर पलायन कर रहे हैं।

कृषक मजदूरों की समस्या का निदान
बिहार में कृषक मजदूरों की समस्या का निदान निम्न रूप से किया जा सकता है-
1. कृषि पर आश्रित उद्योगों का विकास-बिहार में कृषक मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए ताकि कृषक मजदूर खाली समय में इनमें काम करके अपनी आय में वृद्धि कर जीवन स्तर को सुधार सके।
2. लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास-ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्योगों के साथ-साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास भी किया जाना चाहिए जिससे कि भूमिहीन श्रमिक इसमें खप सकें।
3. न्यूनतम मजदूरी नियमों का उचित क्रियान्वयन-बिहार में भी भारत के अन्य राज्यों की तरह न्यूनतम मजदूरी के नियमों का उचित ढंग से पालन किया जाना चाहिए।
4. कार्य के घंटे को निश्चित करना-कृषक मजदूरों के कार्य के घंटे निश्चित किये जाने चाहिए। यदि मालिक इस निर्धारित घंटों से अधिक काम लेता है तो उन्हें अतिरिक्त मजदूरी देने की व्यवस्था होनी चाहिए।
5. कार्य दशाओं में सुधार-कृषक मजदूरों के कार्य दशाओं में सुधार कर उसको समय-समय पर छुट्टियाँ मिलनी चाहिए और यदि कार्य दिवस पर कोई दुर्घटना हो जाए तो
श्रमिकों को उचित सहायता एवं मुआवजा दी जानी चाहिए।
6. मकानों का निर्माण-कृषक मजदूरों को रहने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कर उनको उपलब्ध करा देना चाहिए।
7. कृषि श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना-गाँवों में प्रखण्ड स्तर पर कृषि श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि मजदूर अपनी चोट तथा बीमारी आदि का इलाज करा सकें।
8. ग्रामीण रोजगार केन्द्रों की स्थापना-ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि रोजगार संबंधी सूचनाएँ कृषक मजदूरों को मिल सके और वे शहरी क्षेत्रों में जाकर रोजगार प्राप्त कर सकें।
9. कृषि मजदूरों के लिए भूमि की व्यवस्था-भूमि व्यवस्था में सुधारकर अतिरिक्त भूमि को कृषि मजदूरों को दिलाने

https://www.evidyarthi.in/

का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही बंजर भूमि या खाली भूमि को भी उचित प्रकार से खेती योग्य बनाकर इनमें बाँटी जानी चाहिए।

10. कृषि मजदूरों के लिए उचित संगठन की व्यवस्था-इनके लिए संगठन की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि मजदूरों का शोषण बन्द हो सके।

11. सहकारी संस्थाओं की स्थापना-ऐसे सहकारी संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए जो मजदूरों को ऋण सुविधाएँ दे सके और ऋण की वापसी किश्तों में ले सके। इसके लिए ब्याज दर भी कम होनी चाहिए।

12. शिक्षा का प्रसार-कृषक मजदूरों में शिक्षा का व्यापक प्रचार एवं प्रसार से उनकी समस्याओं को हल करने में योगदान दे सकता है।

13. भूदान-आचार्य बिनोवा भावे ने भूमिहीन कृषक मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से एक आंदोलन चलाया, जिसे भू-दान कहते हैं। उन्होंने बड़े-बड़े भूमिपति से अतिरिक्त भूमि माँगकर भूमिहीन मजदूरों को देने के लिए एक आंदोलन चलाया था। इससे कृषक मजदूरों में आत्मविश्वास तथा साहस बढ़ा है।

कृषक मजदूरों की समस्या को सुलझाने का सरकारी प्रयास निम्नलिखित हैं-

(i) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948) कृषि पर भी लागू कर दिया गया है।

(ii) भूमिहीन मजदूरों को मकान बनाने के लिए मुफ्त प्लॉट (जगह) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं में व्यवस्था की गयी है।

(iii) जमींदारी प्रथा समाप्त करने के चलते बहुत सी भूमि अतिरिक्त बची थी। जिसको इन भूमिहीनों में बाँट दिया गया है।

(iv) 1976 में आपातकाल के दौरान अधिनियम बनाकर बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त कर दिया।

(v) जोत की सीलिंग (उच्चतम निर्धारित सीमा) से बची हुई भूमि, बंजर भूमि को कृषक मजदूरों के बीच वितरित किया जा रहा है।

(vi) कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने कई ग्रामीण औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित की है।

(vii) केन्द्रीय सरकार ने कृषक मजदूरों के लिए स्थायी समिति की नियुक्ति की है।

(viii) भूमिहीन मजदूरों को पुराने ऋणों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से भिन्न-भिन्न राज्यों ने कानून बनाये है।

(ix) बाल श्रमिक निरोधन अधिनियम के कारण कृषक मजदूरों के बच्चों के शोषण को कानूनी अपराध घोषित किया गया है।

(x) सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम शुरू की है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार तथा वृद्धि करना है।

https://www.evidyarthi.in/